

मु.न. 299/18

सरकार

बनाम श्री: शम्भू जी. हनुमान

दाहि - 72 - छा. 9मीन

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 20. 2. 18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री शम्भू पुत्र श्री हनुमान जाति 72 निवासी दामीन तहसील महवा ने संवत 2024 फसल रवि / खरीफ मे ग्राम दामीन की राजकीय आराजी खसरा नं. 331 रकबा 14.98 किस्म शम्भू भूमि से 402 रकबा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.88 का 50 गुना 0.44 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार  
तहसील-महवा (दोसा)

तहसीलदार  
महवा जिला दोसा

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 27 पर  
वर्ष 2017-18 की सलाह  
की जमा 4400  
दिनांक 5/3/18  
हनुमान  
तहसील-महवा